न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 17/2024
3. उनवान : तुलसीराम पुत्र बोदू जाति कुमावत निवासी छोटा मठ मैसावा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज०

–अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज०
2. गीता देवी पत्नी बाबूलाल सैनी जाति माली निवासी माडक्या वाली ढाणी निवारू रोड झोटवाडा जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 08/08/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री राम सिंह अपीलांट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री सारांश सक्सेना रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि अपीलांट आराजी खसरा नंबर 751, 754, 755, 757, 758, 752, 759, 756, 762, 763, 750, 746/1, 760, 768, 769, 770, 771, 772, 773 वाके भैसावा तह० कि० रेनवाल में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर सांभरलेक की अदालत में उनवानी वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी तुलसीराम बनान कजोड वगैरह में विक्रेता रूचा पुत्र भींवाराम जाति कुमावत नि०छोटा मठ भैसावा तह० कि० रेनवाल जिला जयपुर को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का आगामी आदेश तक किसी प्रकार से बिना विधिक विभाजन तकासमा कराये रहन बैय मुंतकिल ना करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस आदेश की तहरीर कमांक/राजस्व/5 दिनांक 8/6/17 तहसीलदार कि० रेनवाल व सबरजिस्ट्रार कि० रेनवाल को प्रेषित की गई थी और तहसीलदार कि० रेनवाल ने आदेश दिनांक 8/6/17 के आधार पर पटवारी हल्का को उक्त स्थगन का नोट जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश दिये गये। तब पटवारी हल्का ने स्थगन आदेश दिनांक 8/6/17 का नोट जमाबंदी में अंकित कर दिया। परन्तु बाद में तहसीलदार कि० रेनवाल, पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से रेस्पोडेंट सं0 2 ने मिलीभगत करते हुये जो स्थगन का नोट जमाबंदी में आदेश दिनांक 8/6/17 के आधार पर डाला गया था, उसको बिना न्यायालय के आदेश के जमाबंदी से हटाकर कतई गलत तरीके से नामांतकरण सं0 3170 को भरते हुये मेगा विधिक जन चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर सांभरलेक दिनांक 17/9/17 में उक्त नामांतकरण रेस्पोडेंट सं0 2 के नाम तस्दीक कर दिया गया जबकि रेस्पोडेंट सं01 को न्यायालय के स्थगन दिनांक 8/6/17 की पूर्ण जानकारी थी और रेस्पोडेंट सं0 2 को भी उक्त स्थगन की जानकारी थी। इस प्रकार उक्त नामांतकरण कतई अवैधानिक तरीके से खोला गया है, क्योंकि नामांतकरण खोले जाने के दिन उक्त आराजीयात विवादग्रस्त थी, जिसका नामांतकरण प्रार्थी अपीलांट को बिना सुने खोला

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट सं0 2 का कोई कब्जा नहीं है और ना ही नामांतकरण खुलने के पश्चात रेस्पोडेंट सं0 2 का कब्जा रहा है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण सं0 3170 की स्वीकृति का आदेश दिनांक 17/9/17 को निरस्त किया जावे।

अपीलार्थी ने अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सारांश सक्सेना उपस्थित हुए। मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात में न्याया0 सहायक कलक्टर सांभरलेक ने दिनांक 08.06.2017 को विक्रेता रूचा पुत्र भींवाराम को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का आगामी आदेश तक किसी प्रकार से बिना विधिक विभाजन तकासमा कराये रहन बैय मुंतकिल ना करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पटवारी हल्का ने स्थगन आदेश दिनांक 8/6/17 का नोट जमाबंदी में अंकित कर दिया। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा नामांतकरण सं0 3170 को भरते हुये मेगा विधिक जन चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर सांभरलेक दिनांक 17/9/17 में उक्त नामांतकरण रेस्पोडेंट सं0 2 के नाम तस्दीक कर दिया गया रेस्पोडेंट सं01 को न्यायालय के स्थगन दिनांक 8/6/17 की पूर्ण जानकारी थी और रेस्पोडेंट सं0 2 को भी उक्त स्थगन की जानकारी थी। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट सं0 2 का कोई कब्जा नहीं है और ना ही नामांतकरण खुलने के पश्चात रेस्पोडेंट सं0 2 का कब्जा रहा है। अतः न्यायालय का स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खोला जाना विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3170 विधि सम्मत तरीके से विधिक प्रक्रिया अनुसार खोला गया है। उक्त नामान्तकरण में नोट अंकित है कि तहसीलदार सा. कि0रेनवाल के आदेश दिनांक 06.09.2017 की पालना में पुनः जांच की गई। राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 10.07.2017 के अनुसरण में सहायक कलक्टर सांभरलेक द्वारा दिनांक 14.08.2017 तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 एल. आर. एक्ट का निस्तारण नहीं करने पर पूर्व में जारी निषेधाज्ञा स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा दिनांक 14.08.2017 के बाद कोई स्थगन प्राप्त नहीं होने पर स्थगन प्रभावी नहीं है। उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने के कारण विवादित नामान्तकरण तस्दीक किया गया। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण एवं अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपील पेश करने के कारण अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण पत्र पर अंकित नोट में ही अंकन किया गया है कि सहायक कलक्टर महोदय, सांभरलेक द्वारा दिनांक 14.08.2017 तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 एल. आर. एक्ट का निस्तारण नहीं करने पर पूर्व में जारी निषेधाज्ञा स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

राजस्व मण्डल के दिनांक 10.07.2017 का आदेश सहायक कलक्टर सांभरलेक के न्यायालय को जारी किया गया था। उस आदेश में प्रकरण के निस्तारण बाबत लिखा गया था,

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

संबंधित न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक ने उस आदेश की पालना में क्या कार्यवाही की ? प्रकरण का क्या निस्तारण किया गया ? उक्त बिन्दुओं पर तहसीलदार कि0 रेनवाल ने संबंधित न्यायालय से कोई पत्राचार किया या अन्य किसी उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त किया ? ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने बिना जांच किए ही स्वयं के स्तर से यह मान लिया कि राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 10/07/2017 द्वारा सहायक कलक्टर सांभरलेक का स्थगन आदेश समाप्त हो चुका है जबकि उक्त सशर्त आदेश के अनुसरण में संबंधित पक्षकारान द्वारा संबंधित न्यायालय से स्थगन हटने या स्थगन जारी रहने बाबत स्पष्ट आदेश प्राप्त किया जाना था। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा अपने वरिष्ठ न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करते हुए नामान्तकरण के पुनः जांच के आदेश दिए व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय के अनुसरण में हुई किसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त किए बिना नामान्तकरण स्वीकृत कर प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि की है। जब नामान्तकरण से पूर्व जमाबंदी में न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांभरलेक के स्थगन का नोट लगा हुआ था तो उस नोट को हटाने से पूर्व तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को संबंधित न्यायालय से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित होने के कारण नामान्तकरण संख्या 3170 दिनांक 17/09/2017 खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी साबित होने पर अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 3170 दिनांक 17/09/2017 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर